कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
पत्रांक– 1315 /बागपत/14625/UP–129/2015, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 18 , 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त,
मेरठ ।

विषय : बागपत में लोनिनिवि० द्वारा मेरठ–बागपत मार्ग किमी० 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायी ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 1.215 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक–2855/14–1, दिनांक 17.12.15

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि अभिकरण अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता के सील सहित मूल हस्ताक्षर अंकित नहीं है। छायाप्रति के रूप में संलग्न अभिलेखों को प्रमाणित कर संलग्न नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें/अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं है, जो निम्न प्रकार है :–

1– प्रस्तावित स्थल चिन्हित संलग्न टोपोशीट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता एजेंसी के सील सहित मूल हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

3– प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर संस्तुति अंकित नहीं है एवं हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित नहीं है।

4– पृष्ठ–27 पर संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की गणना पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। पृष्ठ–29 पर संलग्न अभिलेख में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल व आशय स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

5– संरक्षित वनभूमि घोषित किये जाने वाले गजट की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है।

6– परियोजना की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गई है।

7– क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। प्रनि० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

8– प्रस्तावित वनभूमि की एन०पी०वी० जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। प्रनि० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

9– चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के मूल हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

10– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

11– पृष्ठ–22 एवं 57 पर प्रस्तावित वनभूमि का भू–सन्दर्भित मानचित्र संलग्न किया गया है, जिसमें से एक पर प्रभागीय वनाधिकारी व दूसरे पर अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। जो औचित्यपूर्ण नहीं है। एक ही मानचित्र पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर अंकित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

12– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का भू–सन्दर्भित मानचित्र प्रस्ताव के साथ संलग्न विषय सूची में पूर्व संलग्न किया गया है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। उपयुक्तता के साथ मानचित्र संलग्न कर विषय सूची में उसका सम्मावेश करें।

11– उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ सं० व तदनुसार विषय सूची को संशोधित करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा चिन्हित सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव का परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

18/12/15

(डा० राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ ।

पत्रांक– 1315 / तत्कालदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत ।
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोनिनिवि, बागपत ।

18/12/15

(डा० राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ ।